

निर्णय बड़जलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

मु.नं - 8/2024

सवाई माधोपुर

GCLMS No- 2024/178 प्रकरण संख्या 41/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा शहर सवाई माधोपुर।

.....प्रार्थी

श्री नरेन्द्र सिंह रानावत पुत्र श्री हनुमान सिंह रानावत निवासी म.न. 227 राजपूत कॉलोनी कुशतला जिला सवाई माधोपुर
.....अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

--: आदेश :-

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.11.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री नरेन्द्र सिंह रानावत पुत्र श्री हनुमान सिंह रानावत निवासी म.न. 227 राजपूत कॉलोनी कुशतला जिला सवाई माधोपुर के स्वामित्व की चल सम्पत्ति चार पहिया वाहन TATA TIAGO XM 1.2 RTNBS4 वाहन संख्या RJ25 CA7694 चेचिस नम्बर MAT62621KKB13681 इंजन नम्बर REVTRNO2BPYK14649 निर्माता TATA MOTORS LTD को हाईपोथिकेट कर कुल राशि 4,90,000 (चार लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभाँति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 18.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में हाईपोथिकेट चल सम्पत्ति चार पहिया वाहन TATA TIAGO XM 1.2 RTNBS4 वाहन संख्या RJ25 CA7694 चेचिस नम्बर MAT62621KKB13681 इंजन नम्बर REVTRNO2BPYK14649 निर्माता TATA MOTORS LTD का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
5. आदेश आज दिनांक 20-12-24 को सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

